न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 107/2025(GCMS 2025/435)

(RTI No. 212770845314569)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गांव 5 केएसडी, पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619–41862)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)**, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2025 से अठारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अठारह बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। **उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने** अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ./2026/54 राजकाज रैफ लं. 20168211 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ./2025/678 दिनांक 04.11.2025 से प्रार्थी को जवाब दिया जा चुका है, जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने प्रार्थी/अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रार्थी ने आरटीआई की धारा 7(1) में आवेदन किया है, 48 घंटे में दस्तावेज प्रमाणित चाहे है, प्रार्थी के जीवन में भी अप्रिय घटना घटित हो सक[illegible] गए दस्तावेज जीवन एवं संघर्ष से जुडे हुए है, तय समय अतिआ[illegible] अगर तय समय में दस्त[illegible] मिलते है तो जीवन व संघर्ष[illegible] प्रकार से अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पीईओ की होगी। तय समय में सूचनाएं दिलवाने का दायित्व निभाने का श्रम करावें।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी [illegible] में कोई साम[illegible] ईमेल, [illegible] विज्ञप्ति, परिपत्र, [illegible] लॉगबुक, संविदा रि[illegible] कागज पत्र नमूने, [illegible] आंकडो सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 107 / 2025
(GCMS No. 2025/435)
(RTI No. 212770845314569)
मुकन्द सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

		सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना आपेक्षित नहीं है।
2	जिलाधीश कार्यालय, श्रीगंगानगर डाक शाखा में दिनांक 25.03.2025 के क्रमांक 168 आरटीआई शाखा में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, यही प्रार्थना पत्र भारतीय डाक रजिस्ट्री क्रमांक 43900298 आईएन द्वारा प्रेषित जिला कार्यालय में किया गया था। इसी क्रम में दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 को मय सील सहित डाक शाखा में प्रेषित किया गया है। यह दोनों प्रार्थना पत्रों में बनाम कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर मे न्याय शाखा में संजीव कुमार, चन्दन शर्मा वर्तमान सुखविनद्र कार्यरत बाबुओं को आरोपी बनाया गया है। दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार दस्तावेज प्रमाणित प्रति संलग्न हैं
3	जिलाधीश महोदय कार्यालय में श्रीगंगानगर में दिनांक 11.09.2025 को प्रार्थना पत्र विषय– पंचायत समिति रायसिंहनगर में सहायक अभियन्ता संजय जाखड़ द्वारा नियम विरूद्ध चार्ज ग्रहण करने संबंधी शिकायत है। इस शिकायत का प्रमाणित दस्तावेज चाहा।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	अप्रार्थी, अपरिवादी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
5	शिकायतकर्त्ता के बयानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
6	शिकायतों का निर्णय, फैसला करने वाले लोक सेवकों के पदनाम व कार्यालय मय मयशील सहित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
7	शिकायतों की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
8	शिकायतों की जांच करने वाले लोक सेवकों ने जांच ट्रेनिंग की [illegible] जांच ट्रेनिंग की प्रमाणित [illegible] चाहा है।	बिन्दु [illegible] अनुसार
9	शिकायतों का निर्णय व जांच करने का तय समय का दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु सं[illegible] 1 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 107 / 2025
(GCMS No. 2025/435)
(RTI No. 212770845314569)
मुकन्द सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

10	शिकायतों के सम्बन्ध में बयानों व सुनवाई के लिए दिए गए नोटिस की प्रमाणित दस्तावेज	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
11	शिकायतों के संबंध में निर्णय व जांच के संबंध में शिकाायत, परिवाद जिस–जिस लोकसेवक की टेबल पर दिया है समय व क्रमानुसार लोकसेवक का पदनाम व अन्त में जिस लोकसेवक ने निर्णय किया है, उस लोकसेवक का पदनाम की सूची के दस्तावेज चाहे है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
12	शिकायतों के जांच के संबंध में प्रारम्भिक जांच करने के लिए दिए गए निर्देशों व आदेशों (राज्य सरकार द्वारा दिए गए परिपत्र, आदेशों) क प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
13	शिकायतों एवं दोषी लोक सेवकों के पदनाम की सूची प्रमाणित चाही है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
14	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में दिनांक 29.08.2025 को आरटीआई आवेदन का गलत जवाब बिन्दं नं. 06 में मूवमेंट पंजिका रजिस्टर को व्यक्तिगत एवं निजी बताकर सूचनएं नहीं दी गई। व्यक्तिगत होने का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
15	उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर के जनवरी, 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट पंजिका संधारित की गई है अथवा संधारित नहीं की गई। स्पष्ट दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
16	उप जिला कलक्टर सुभाष चन्द्र ने एक मार्च 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक की लोगबुक व दैनिक पंजिका रजिस्टर के पृष्ठों के दस्तावेज चाहे है। मूवमेंट पंजिला, लोगबुक व दैनिक पंजिका सरकारी दस्तावेज है या फिर निजी व्यक्तिगत है, इसका प्रमाणित दस्तावेज उपजिला कलक्टर कार्यालय से एसडीएम सुभाषचन्द्र के कार्य संबंधी चाहा है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
17	पीईओ की सुविधा के लिए शिकायतों की चार पेज फोटो कॉपी संलग्न कर रहा है। (सूचनाएं देने में सुविधा रहेगी।)	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
18	आईपीओ क्रमांक 64एफ 482622 भरकर पीईओ भुगतान कर लेवें, प्रार्थी मुकन्द सिंह सहमति देता है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 107 / 2025
(GCMS No. 2025/435)
(RTI No. 212770845314569)
मुकन्द सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

अपीलार्थी ने लोक **सूचना अधिकारी** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत 48 घंटे में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1)** निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> "Where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.
>
> This clause addresses urgent situations where delayed access to information could result in serious harm or jeopardize an individual's life or freedom. The interpretation and application of this provision have been crucial in several landmark case

प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु उनके द्वारा अपने आवेदन में किसी प्रकार के विशिष्ट तथ्यों या साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया है जो यह साबित करते है कि प्रकरण में किस प्रकार प्रार्थी के जीवन स्वतन्त्रता के लिए खतरा साबित करते हो। इसलिए प्रार्थी का **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का बिन्दु संख्या 01 खारिज किया जाता हैं**

बिन्दु संख्या 02 का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवया जा चुका है, बिन्दु संख्या 17 एवं 18 में अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना नहीं चाही गई है। **इसलिए बिन्दु संख्या 02, 17 एवं 18 खारिज किये जाते है।**

बिन्दु संख्या 3 का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सम्बन्धित न होकर, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है, जिसकी अपील की सुनवाई क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को न होने के कारण बिन्दु संख्या 03 खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के **बिन्दु संख्या 4 से 13** में प्रार्थी स्वयं द्वारा शिकायत की गई हो, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित न हो एवं जिसमें वर्तमान में कोई जांच [illegible] हो को छोडकर, शेष सूचना जो कार्यालय रिकॉर्ड में [illegible] करवा दिया जावे और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 107 / 2025
(GCMS No. 2025/435)
(RTI No. 212770845314569)
मुकन्द सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

	लोक **सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** ने अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 14 से 16 की सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई है, जबकि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के अनुसार वह सूचना देय होना प्रतीत होती है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 14 से 16 की सूचना कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध हो तो, अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Manju (डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:45 IST
Reason: SelfAttested